



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

संख्या – 024/वीजीएल/081-38615

दिनांक : 28.08.2024

परिपत्र संख्या 09/08/24

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का अनुपालन।

थीम : “सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि”

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन (31 अक्टूबर) आता है। आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक निम्नलिखित थीम के साथ मनाया जाएगा :

“सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि”

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 का अनुपालन 28 अक्टूबर, 2024 को 11.00 बजे सभी मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों(सीपीएसई)/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (अनुबंध क में संलग्न) लेने के साथ आरंभ होगा।

3. सभी संगठनों को सलाह दी जाती है कि वह थीम से संबंधित कार्यक्रम संचालित करें जिससे अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित हो। यह आवश्यक है कि सभी संगठन अलग-अलग आउटरीच कार्यक्रम संचालित करें जिनका उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता के बारे में जनता को सुग्राही बनाना हो।

4. संगठनों के भीतर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल करें:

क) कर्मचारियों को वेबसाइट पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑनलाइन “सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा” केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट (www.cvc.gov.in) पर उपलब्ध है और सभी व्यक्तियों द्वारा ली जा सकती है।

- ख) संगठन की नीतियों/प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों पर कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कार्यशालाएं/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- ग) भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।
- घ) उन व्यक्तियों द्वारा ई-सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाए जिनके साथ संगठन का संपर्क है।
- ड) सतर्कता अध्ययन समूह विभिन्न आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।

5. जनता/नागरिकों के लिए आउटरीच कार्यक्रमों में निम्नलिखित गतिविधि शामिल करें :

- क) सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों, क्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/हितधारकों, छात्रों आदि के मध्य व्यापक भागीदारी प्राप्त करने के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा का प्रचार करेंगे। नागरिकों और संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा इस परिपत्र के **अनुबंध क और ख** में संलग्न है।
- ख) संगठन वॉकथॉन, लंबी दौड़, नुक्कड़ नाटक आदि जैसे कार्यक्रमों को कर सकते हैं जिसकी दृश्यता और व्यापक प्रभाव समाज के सभी वर्गों में हो सके।
- ग) जागरूकता के प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़ी संख्या में एसएमएस/ई-मेल, व्हाट्सएप आदि का व्यापक उपयोग करें। सोशल मीडिया से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सोशल मीडिया हैंडल को टैग किया जा सकता है। (ट्विटर: @CVCIndia; फेसबुक: CVCofIndia)
- घ) ग्राहक-उन्मुख कार्यक्रमों वाले संगठनों द्वारा नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाए। इसी तरह, जहाँ भी आवश्यक हो, ऑनलाइन मोड के माध्यम से या अन्यथा, जो भी अधिक संभव हो, विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएं।
- ड) भ्रष्टाचार के खतरे के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए “ग्राम सभा जागरूकता” का आयोजन करें और विभिन्न उपाय जो जनता निवारण के लिए कर सकती है, जैसे शिकायत पोर्टल आदि का प्रसार करें। पुरानी पद्धति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम से कम दो ग्राम पंचायतों में शाखा स्तर पर ‘ग्राम सभा जागरूकता’ का आयोजन करना है। अन्य संगठन जहाँ कहीं भी संभव हो, ऐसे आयोजन कर सकते हैं। ‘ग्राम सभा जागरूकता’ के भाग के रूप में संचालित की जा सकने वाले कार्यक्रमों की सांकेतिक सूची इस परिपत्र के **अनुबंध ग** में संलग्न है।

6. चयनित फोटो/मीडिया क्लिप आयोग को ई-मेल के माध्यम से coord1-cvc@nic.in पर भेजें। फोटोग्राफ और मीडिया क्लिप विभाग/संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन पर एक रिपोर्ट इस परिपत्र के **अनुबंध – घ** में संलग्न प्रारूप में **30 नवंबर, 2024** तक केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाए।

8. आयोग ने पूर्व में दिनांक 01.08.2024 के अपने समसंख्यक परिपत्र द्वारा **तीन माह की अभियान अवधि (16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक)** का विवरण देते हुए अनुदेश जारी किए थे, जिसमें सभी मंत्रालयों

/विभागों और संगठनों द्वारा निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों को फोकस एरिया के रूप में लिया जाना था और निर्धारित प्रारूप में 30 नवंबर, 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है:

- क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ख) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन
- ग) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावलियों का अद्यतनीकरण
- घ) 30.06.2024 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान
- ड) सक्रिय डिजिटल विद्यमानता

9. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

हो/-
(पी. डेनियल)
सचिव

संलग्न: यथा उपर्युक्त

प्रति

- i) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव
- ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव
- iii) सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
- iv) निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- v) प्रवर्तन निदेशक
- vi) सभी सीपीएसई / सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों / सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों / वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / समितियों के मुख्य कार्यकारी
- vii) सभी मंत्रालयों / विभागों / सीपीएसई / सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों / सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों / वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / समितियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी

नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्तत लूँगा और ना ही रिश्तत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे;
- हम ना तो रिश्तत देंगे और ना ही रिश्तत लेंगे;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे;
- हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे।

ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में “ग्राम सभा जागरूकता” के आयोजन के लिए कार्यकलापों की सूची

‘ग्राम सभा जागरूकता’के आयोजन के लिए सांकेतिक कार्यकलापों की सूची निम्नलिखित है।

1. ग्राम पंचायत के सभी हितधारकों जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), मनरेगा के श्रमिकों, किसानों, छात्रों और नागरिकों को आमंत्रित करते हुए बैठकें आयोजित करें। ग्राम सभा के मुखिया, सरपंच या किसी गणमान्य व्यक्ति को भ्रष्टाचार के विरुद्ध थीम पर व्याख्यान देने और उसके बाद चर्चा करने का अनुरोध किया जाए। बैठक में स्थानीय भाषाओं में भ्रष्टाचार विरोधी संदेश को भी प्रदर्शित कर सकते हैं।
2. प्रश्नोत्तरी, कार्टून, स्लोगन, पेंटिंग, रंगोली, पोस्टर और वॉकथॉन/मैराथन/साइक्लेथॉन आदि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।
3. स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन / उत्पादों के व्यापक प्रचार के लिए मेला का आयोजन करें जो उनको जागरूकता सृजन प्रयासों के साथ एकीकृत करने के लिए एक प्रेरक उपकरण के रूप में कार्य करे।
4. गांवों/पंचायतों में शाम की चौपालें/बैठकें आयोजित करें, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए लघु नाटक/नौटंकी/कलाजत्था/लोकगीत/कठपुतली प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जा सकता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024- कार्यकलाप रिपोर्ट प्रारूप

संगठन का नाम:

1. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

सारणी क) : सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

कुल कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	कुल ग्राहकों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	कुल नागरिकों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है

2. संगठन के भीतर आयोजित कार्यकलाप / कार्यक्रम

सारणी क) : प्रतियोगिता का आयोजन

राज्य का नाम	शहर /स्थान	कार्यक्रम का विवरण (वाद विवाद/ स्थानीय/ समूह चर्चा आदि)	प्रतिभागियों की संख्या	टिप्पणी

सारणी ख): अन्य कार्यकलाप

क्र सं	कार्यकलाप	विवरण
1	पैम्फलेट/ बैनरों का वितरण	
2	कार्यशाला / जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन	
3	जारी जर्नल / सूचनापत्र	
4	अन्य कोई कार्यकलाप	

3. आउटरीच कार्यकलाप

सारणी क) : विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	विद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी विद्यार्थियों की संख्या
कुल				

सारणी ख) महाविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रतिभागिता

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	महाविद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी विद्यार्थियों की संख्या
कुल				

सारणी ग) : 'ग्राम सभा जागरूकता'

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहां 'ग्राम सभा जागरूकता' का आयोजन हुआ	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी जनता / नागरिकों की संख्या
कुल				

सारणी घ) : संगोष्ठी / कार्यशाला

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	आयोजित संगोष्ठी /कार्यशाला की संख्या	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी जनता / नागरिकों की संख्या
कुल				

4. अन्य कार्यकलाप

क्र. सं.	कार्यकलाप	विवरण
1	बैनर / पोस्टर आदि का प्रदर्शन	
2	शिकायत निवारण शिविरों के आयोजन की संख्या	
3	सोशल मीडिया का प्रयोग	

5. संलग्न फोटो का विवरण

(कृपया फोटो को कैप्शन और कार्यक्रम के स्थान और तिथि के साथ भेजें)

आयोजित कार्यकलापों का नाम	फोटो की संख्या	क्या फोटो की सॉफ्ट अथवा हार्डप्रति भेजी गई है	यदि सॉफ्ट प्रति में, तो संलग्न सीडी की संख्या

6. अन्य कोई सम्बद्ध सूचना, यदि कोई है :

(सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण, जो 1000 शब्दों से अधिक न हो को अलग पृष्ठ पर संलग्न किया जाए)